फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 13-07-2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 204/25 धारा 352/351(2)(3)/299 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 व 3(1)द/3(2)VA/3(1)(t) SC/ST ACT से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री अजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2025 को मु0अ0सं0 204/25 धारा 352/351(2)(3)/299 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 व 3(1)द/3(2)VA/3(1)(t) SC/ST ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शैलेश मसीह उर्फ सोनू पास्टर पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नगला दीना सैनिक कालोनी कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शैलेश मसीह उर्फ सोनू पास्टर पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नगला दीना सैनिक कालोनी कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरणः- आवेदक श्री बसन्त पुत्र श्री रामबाबू निवासी इंदिरानगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कमालगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 09/07/2025 को अभियुक्तगण द्वारा वादी व बाल्मीकि समाज के लोगो का ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रलोभन देकर दबाव बनाया गया तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई तथा वादी के आराध्य भगवान शंकर औऱ दुर्गा जी की तस्वीर को क्षतिग्रस्त कर अपमान किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज मे मु0अ0सं0 204/2025 धारा 352/351(2)(3)/299 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 व 3(1)द/3(2)VA/3(1)t SC/ST ACT बनाम 1. डॉ0 पी0 कुजूर पुत्र नामालूम निवासी मिशन कम्पाउण्ड बढपुर फतेहगढ़ 2. सोनू पास्टर पुत्र नामालूम निवासी नगला दीना थाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ 3. महेश पुत्र कालीचरन निवासी मो0 इंदिरानगर कस्बा व थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा दिनाँक 13.07.2025 को वाँछित अभियुक्त शैलेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभि0 शैलेश मसीह उपरोक्त ने जुर्म स्वीकार करते हुये शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 204/25 धारा 352/351(2)(3)/299 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 व 3(1)द/3(2)VA/3(1)(t) SC/ST ACT

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 गीतम सिंह
2. हे0का0 संदीप कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना कम्पिल

दिनांक - 13.07.2025

एसओजी/सर्विलांस व थाना कम्पिल पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस व थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-110/2025 धारा-109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को थाना क्षेत्र कम्पिल से गिरफ्तार कर में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. इब्राहीम पुत्र वउआ उर्फ बबलू निवासी समेचीपुर चितार थाना शमशाबाद जनपद फर्रूखाबाद।

घटना का विवरण:- दिनांक 13.07.2025 को रात्रि में एसओजी/सर्विलांस व थाना कम्पिल पुलिस बरखेडा नहर पुलिया चौराहा पर वांछित अपराधियो व अन्य घटित अपराधो के बारे मे बातचीत कर रहे थे उसी समय सोतेपुर गांव की ओर से नहर पटरी पर तेजी से मोटर साइकिल की लाइट आते दिखाई दी। जैसे ही मोटर साइकिल नजदीक आई तो एसओजी प्रभारी सचिन चौधरी ने मोटर साइकिल पर टार्च की रोशनी डालते हुए तेज आवाज में स्वयं को पुलिस बताते हुए उन्हे रूकने का इशारा किया गया पुलिस कर्मियों को अचानक देखकर एकदम मोटर साइकिल रोककर पीछे मुडने का प्रयास किया लेकिन मोटर साइकिल सडक के किनारे बिजली के खम्बे के पास स्लिप होकर गिर गई तथा मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति ने तेज आवाज में कहा कि गोली मार दो सालो को और पीछे की ओर नहर पटरी के किनारे झाडियों की ओर भागा, तभी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने तमंचा निकालकर एकदम से पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से फायर किया जिससे पुलिसबल सूझबूझ व सिखलाये तरीके से बाल बाल बच गये तब थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने हेतु चेतावनी दी गयी तो अभियुक्त ने तमंचे से जान से मारने की नियत से एक ओर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त का इलाज डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्तपाल फर्रूखाबाद में चल रहा है। मोटर साइकिल चला रहे बदमाश का पीछा किया गया तो बदमाश अंधेरा व पटरी के किनारे बडी बडी घास होने के कारण मौके से भागने में सफल रहा। अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त से फरार साथी के बारे में पूछा गया तो इब्राहिम उपरोक्त ने अपने साथी का नाम वसीम पुत्र जमालुद्दीन निवासी समेचीपुर चितार थाना शमशाबाद जनपद फर्रूखाबाद बताया । घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के आधार पर थाना कम्पिल पर पुलिस मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त आदि 02 नफर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- घायल अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने फरार साथी के बारे में बताया कि वह मेरे गांव का वसीम पुत्र जमालुद्दीन है तथा हमने साथ में दिनांक 25.06.2025 की शाम को अपने गांव के बाहर जाकिर के खेत में शकील व बांके पुत्रगण नवी आलम निवासीगण समेचीपुर चितार थाना शमशाबाद व नन्हे पुत्र अलीदराज निवासी इस्लाम नगर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर के साथ गोकशी की घटना की थी। इसलिए हम दोनों पुलिस से बचने के लिए नहर पटरी से भरगैन की तरफ जा रहे थे कि आज आप लोगों ने पकड लिया। घायल अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि जो मोटर साइकिल बरामद हुई है वह मेरी है। घायल अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त के पास से जो तमंचा बरामद हुआ उसके सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया हम लोग अपने साथ तमंचा कारतूस रखते है जो जरूरत पड़ने पर प्रयोग कर सके। साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस
2. 01 अदद खोखा कारतूस फायरशुदा 315 बोर जो तमंचे की नाल में फंसा हुआ है।
3. 01 अदद मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर
4. 200/- रूपये व 02 तम्बाकू की पुडिया

अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
2. मु0अ0सं0 133/2025 धारा 3/8 गोवध नि0अधि0 थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष विश्वनाथ आर्या
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह
4. उ0नि0 प्रेमपाल सिंह
5. का0 संजय कुमार
6. का0 धर्मेन्द्र कुमार
7. का0 पंकज गौतम

जनपद स्वाट टीम

1. प्रभारी उ0नि0 श्री सचिन चौधरी
2. उ0नि0 श्री राजेश राय
3. हे0का0 बलवीर सिंह
4. हे0का0 करन यादव
5. का0 धर्मेन्द्र सिंह
6. का0 विकाश चन्द्र
7. का0 सौरभ धीमान
8. का0 दिव्याशुं

सर्विलांस टीम

1. उ0नि0 श्री दीपक भाटी मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक - 13.07.2025

‘‘ नारी शक्ति की प्रहरी- महिला पुलिस पंचायत ’’

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के नेतृत्व में थाना अमृतपुर, महिला थाना एवं थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ द्वारा ‘‘ नारी शक्ति की प्रहरी- महिला पुलिस पंचायत ’’ कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 13-07-2025 को पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह द्वारा एक नवीन पहल करते हुये को थाना अमृतपुर क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल अमृतपुर के प्रांगण में ‘‘ **नारी शक्ति की प्रहरी- महिला पुलिस पंचायत** ’’ की कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम मे क्षेत्राधिकारी अमृतपुर/क्राइम श्री अजय वर्मा ने उपस्थित जनमानस को जागरुक करने में योगदान दिया जिसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़े अपराधों की रोकथाम, उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता और पुलिस व समाज के बीच विश्वास का सेतु मजबूत करना है।

"नारी शक्ति की प्रहरी — महिला पुलिस पंचायत" के तहत फतेहगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं के हित में एक सशक्त पहल की गई है। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जा रहा है तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार, सुरक्षा के उपाय, सरकारी योजनाओं एवं पुलिस सहायता के संसाधनों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक सहज, सुरक्षित व भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना है। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं की समस्याओं को सुना तथा **थाना अमृतपुर के कस्बा बीट में नियुक्त बीट महिला का0 रचना को क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण कर महिलाओं की समस्याओं के निवारण हेतु निर्देश दिये गये एवं थानाध्यक्ष अमृतपुर व थानाध्यक्ष महिला थाना को ग्रामीण महिलाओं को अपराधो से बचाव एवं जागरुकता हेतु संवेदनशीलता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।**

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:-

महिला सुरक्षा सम्बन्धित बिंदु:-

- **ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं से प्रत्यक्ष संवाद।**
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु सुझाव प्राप्त करना।**
- **महिला हेल्पलाइन (1090), आपातकालीन सेवा (112), साइबर हेल्पलाइन (1930) व अन्य आवश्यक नम्बरों की जानकारी।**
- **घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, साइबर क्राइम जैसी समस्याओं पर विशेष चर्चा।**
- **बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा व आत्मविश्वास के प्रति प्रेरित करना।**

साइबर सुरक्षा सम्बन्धित बिंदु:-

- **सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर आदि) सीमित रखें।**
- **मजबूत पासवर्ड रखें – जटिल, लंबा और यूनिक पासवर्ड बनाएं, जिसे बार-बार न दोहराएं।**
- **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करें – खाते की सुरक्षा को और मजबूत करें।**
- **फ़िशिंग ईमेल से सतर्क रहें – संदिग्ध ईमेल, लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें।**
- **सुरक्षित वेबसाइटों पर ही जानकारी दें – केवल 'https://' वाली वेबसाइटों पर ही लेनदेन करें।**
- **पब्लिक Wi-Fi पर सावधानी बरतें – बैंकिंग या निजी जानकारी का प्रयोग न करें।**
- **साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें**

लक्ष्य:-

➡ महिलाओं और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाना।

➡महिला बीट पुलिसिंग को बढावा देना।

➡प्रत्येक बीट में एक-एक महिला कांस्टेबल नियुक्त होती है. सभी महिला आरक्षियों का मोबाइल नंबर गाँव के प्रत्येक महिला और बच्चियों को देना।

➡ सभी महिला आरक्षीगणों व गाँव की महिलाओं और बच्चियों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपनी समस्या पुलिस तक पहुँचा सके व समय पर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।